# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर ए एस

(1)अपील संख्या 177/2016

गुरनामसिंह पुत्र दीवानसिंह जाति हरीजन निवासी 54 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

———अपीलार्थी

1. भागसिंह पुत्र जीतसिंह जाति जटसिख निवासी 6 जेएम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार अनूपगढ।

———रेस्पोडेन्टान

(1)अपील संख्या 181/2016

1. भागसिंह पुत्र जीतसिंह जाति जटसिख निवासी 6 जेएम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर। ——— अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार अनूपगढ।
2. गुरनामसिंह पुत्र दीवानसिंह जाति हरीजन निवासी गांव बगीचा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।

विरुद्ध आदेश उपखंड अधिकारी, अनूपगढ

दिनांक 28.06.2015 एवं 16.06.2016

उपस्थिति

श्री ओमप्रकाश बतरा, अभिभाषक गुरनामसिंह की ओर से।

श्री तेजासिंह, अभिभाषक भागसिंह की ओर से ।

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता ।

25/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय दिनांकः— 25.08.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी भागसिंह ने एक प्रार्थना पत्र अनूपगढ के समक्ष दिनांक 18.07.14 को पेश कर निवेदन किया कि उसके नाम से चक 7 जे एम के मु.न. 30 प.न. 185/42 के कि.न. 1 से 5, 7 से 13 व 20 कुल 3.188 है. भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। कि.न. 6, 14 से 17, 23 से 25 की 8 बीघा भूमि आराजी राज मौका पर खाली है जो प्रार्थी की भूमि के चिपता है इसलिए उसे बतौर स्मालपैच में आवंटित की जावें । प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का को प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये गये । पटवारी हल्का द्वारा प्रस्ताव तैयार का तहसीलदार के माध्यम से अधी.न्यायालय को प्रेषित किये गये जिस पर दिनांक 10.06.2015 को पत्रावली कायम करते हुए चिपते हुए काश्तकारों को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये । नोटिस बाद तामील मानते हुए दिनांक 26.06.2015 को उक्त भूमि प्रार्थी भागसिंह को बतौर स्मालपैच में आवंटन करने के आदेश दिये गये । जिसके विरूद्ध अपीलांट गुरनामसिंह ने अपील संख्या 177/2016 पेश की है।

इसी प्रकार प्रार्थी गुरनामसिंह ने उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के समक्ष दिनांक 15.10.2015 को पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 7 जे एम के मु.न. 205/39 की 25 बीघा व मु.न. 185/42 की 7.14 बीघा कुल 32.14 बीघा दिनांक 15.06.1982 को आवंटन हुई थी । उक्त भूमि की किश्तों की राशि जमा नहीं कराने से रकबा निरस्त है। अतः रकबा को बहाल कर किश्तों की राशि जमा करवाई जावें । उक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 16.06.2016 को प्रार्थी गुरनामसिंह का आवंटन बहाल कर दिया गया जिसके विरूद्ध अपीलांट भागसिंह ने अपील संख्या 181/2016 प्रस्तुत की गई है। चूंकि दोनों ही अपीलों में विवादित भूमि एक होने से एवं उभय पक्ष द्वारा एक साथ बहस किये जाने से दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावें ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

25/8/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट अपील संख्या 177/16 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट को चक 7 जे एम के मु.न. 205/39 की 25 बीघा व मु.न. 185/42 की 7.14 बीघा कुल 32.14 बीघा दिनांक 15.06.1982 को आवंटन हुई थी यह तथ्य अधी.न्यायालय के समक्ष मौजूद थे एवं समस्त राशि अपीलांट द्वारा जमा करवा दी थी रेकार्ड में भूमि अपीलांट गुरनामसिंह के नाम से दर्ज थी । इसलिए यह भूमि रेस्पो. को बतौर स्मालपेच में आवंटित नहीं की जा सकती। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया । इसके अलावा अपीलार्थी अनु.जाति का सदस्य है एवं रेस्पो. सवर्ण जाति का व्यक्ति है एवं रेस्पो. को आवंटन नहीं किया जा सकता था । अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने एवं बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है । अपील पेश करने की अनुमति बाबत अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावें । अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी । अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 177/16 स्वीकार की जावे एवं रेस्पो.भागसिंह द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 181/16 खारिज की जावें ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट अपील संख्या 181/2016 ने अपनी बहस में कथन किया कि 32.14 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 15.06.1982 को किया गया था , किश्तों की राशि जमा नहीं कराने से दिनांक 30.03.1999 को आवंटन खारिज कर दिया गया। उक्त आवंटन को बहाल कराने हेतु रेस्पो. ने अधी. न्यायालय में प्रा.पत्र पेश किया जिस पर बिना कोई जांच किये रेस्पो. का आवंटन बहाल कर दिया गया । कि.न. 6, 14 से 17, 23 से 25 की 1.948 है. भूमि रकबा राज अपीलांट को बतौर स्मालपैच में आवंटन कर दिया गया, मौके पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने एवं बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है। अपील पेश करने की अनुमति बाबत अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश किया है जिसे

25/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे और अपील संख्या 177/16 खारिज की जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 181/16 स्वीकार की जाकर अपीलांट का आवंटन दिनांक 16.06.2016 बहाल किया जावे ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

दोनों ही अपीलों में अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनको दृष्टिगत रखते हुए दोनों ही अपीलों में उक्त प्रा.पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपील संख्या 177/18 अपीलांट द्वारा आदेश दिनांक 26.06.15 के विरूद्ध अपील दिनांक 08.08.2016 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश नहीं करने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

दो अपीलें क्रमशः अपील संख्या 181/2016 भागसिंह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य तथा अपील संख्या 177/2016 गुरनाम सिंह बनाम भाग सिंह दोनों ही एक आराजी का दोहरा आवंटन से सम्बन्धित है। प्रथम अपील मिसल संख्या 4079 द्वारा गुरनाम सिंह पुत्र दिवान सिंह जाति हरीजन को दिनांक 15.06.1982 को होना जाहिर है जिसे किसी स्तर पर deny नहीं किया है जिससे किश्तें जमा नहीं करवाने की बजह से दिनांक 30.03.1999 को रिज्यूम किया जाना जाहिर किया है तथा उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ द्वारा अपने आदेश क्रमांक 662 दिनांक 11.05.2016 द्वारा तहसीलदार अनूपगढ को आदेशित किया गया रिकार्ड से साबित है कि आवंटी गुरनाम सिंह पुत्र दिवान सिंह से समस्त बकाया किश्तों की राशि मय ब्याज जमा करवायें जो तहसीलदार अनूपगढ की रिपोर्ट अनुसार आवंटी गुरनाम सिंह द्वारा राशि 8584/– व ब्याज की राशि 22137/– जरिये चालान क्रमशः 130 व 131 दिनांक 17.05.2017 को



25/8/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

राजकोष में जमा करवाने से उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के आदेश कमांक 887 दिनांक 16.06.2016 द्वारा आवंटन बहाल के आदेश दिये जिसकी पालना में नामान्तरकरण भरा जा कर दिनांक 17.06.2016 को स्वीकृत होकर गुरनाम बहैस्यित गैरखातेदार आज राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

गुरनाम सिंह को आवंटित भूमि में से खसरा नं. 185/42 का साबिक रकबा 1.948 है0 भूमि का आवंटन भाग सिंह पुत्र जीतसिंह जटसिख को दिनांक 26.06.2015 को स्माल पेच में आवंटन किया गया, जिस पेटे आंशिक राशि रूपये 51000/– दिनांक 03.07.2015 को राजकोष में जमा होना जाहिर है। अतः इस दोहरे आवंटन में विचारणीय बिन्दु है उसमें प्रथम आवंटी गुरनाम सिंह के नाम आवंटन बहाली के आदेश दिनांक 16.06.2016 के दिन मौके पर रकबा खाली आदेश में जाहिर है अर्थात इस स्थिति से पूर्व की स्थिति दिनांक 26.06.2015 को भाग सिंह को स्माल पेच का आवंटन तो किया गया मगर उसे कब्जा नहीं मिला और न ही उसका राजस्व रिकार्ड में अमल होने से मूल आवंटी गुरनाम सिंह को आवंटन बहाली कर नामान्तरकरण तस्दीक हुआ प्रमाणित है जो साबित करता है कि गुरनाम सिंह को आदेश बहाली के साथ–साथ कब्जा भी सपुर्द होना भी जाहिर है तथा वर्तमान रिकार्ड गुरनाम सिंह के नाम संधारित है जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। गुणावगुण के आधार पर दोनों ही अपीलों में एक अपील खारिज योग्य है एवं दूसरी स्वीकार योग्य है, अगर अपील संख्या 177/2016 खारिज की जाती है तो अनुसूचित जाति के व्यक्ति की आराजी गैरअनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम करने के साथ–साथ गैर अनुसूचित जाति को कब्जा सुपुर्दगी के आदेश राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 42 के विपरीत है। अपितु राजस्थान विधायिका द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के हितों की रक्षा हेतु बनाये कानून के विपरीत है तथा दूसरी अपील 181/2016 खारिज किये जाने पर भाग सिंह द्वारा राजकोष में जमा राशि Refund की मांग की जाएगी जो Refund वित्तीय नियमों की एक प्रकिया है।

25/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील सं. 177/2016 स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 26.06.2015 निरस्त किया जाता है तथा अपील सं. 181/2016 खारिज की जाती है।

निर्णय दिनांक 25.08.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर